

वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

विशेष कार्य प्रमंडल, बेतिया।

॥ दर आमंत्रण सूचना ॥

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)

निविदा संख्या—

दिनांक :—.....

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/ केन्द्रीय/ राज्य सरकार /एम.ई.एस./सी. पी.डब्ल्यू.डी./ सार्वजनिक क्षेत्र में निबंधित संवेदकों से दो बीड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) अंतर्गत आर.सी.सी. पुल का निर्माण हेतु दर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि संवेदक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में पूर्व से निबंधित नहीं है, तो भी निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व इन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

क्र०	जिला	कार्य का विवरण	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में) (अप्रत्यपणीय)	अग्रधन की राशि (लाख रु० में)	Bid Processing Fee (Online Payment) (रु० में) (अप्रत्यपणीय)	कार्य की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पश्चिम चम्पारण	पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत भारत-नेपाल सीमा सडक परियोजना अन्तर्गत नावार्ड ऋण योजना के तहत भंगहा से धुतहा नदी तक के पथांश के चैनेज 5. 819 कि०मी० में इनरवा बाजार के निकट घोडासहन नहर पर 2x30.00 मी० आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य। पुल की कुल लम्बाई- 60.00 मीटर नीव का प्रकार- Pile Foundation	838.60	10000.00	16.772	17250.00	18 माह

2. बीड पत्र प्राप्त करने की अवधि एवं समय : दिनांक - 18.11.2016 से 24.11.2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
3. प्री बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि :- दिनांक 21.11.2016 समय 11:00 बजे पूर्वाह्न स्थान :- उप मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार अंचल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., पटना का कार्यालय
4. बीड समर्पित की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 25.11.2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक- 26.11.2016 को अपराह्न 3.30 बजे वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
6. निविदा की वैध अवधि : बीड समर्पित की अंतिम तिथि से 120 दिन तक।
7. क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 (निविदा संबंधित तिथि) में किसी दिन अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस मान्य होगा तथा अलग से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
8. तकनीकी बीड में सफल संवेदकों का ही वित्तीय बीड सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर खोला जाएगा।
9. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा। यह उन्हें वेबसाइट (www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ ई-टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनिवार्य है।

10. ई-निविदा पत्र, अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाईट (www.eproc.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।
11. संवेदक द्वारा परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करना है। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि 26.11.2016 के अपराह्न 3.00 बजे तक वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., विशेष कार्य प्रमंडल, बेतिया / उप मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार अंचल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., पटना में परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि को मूल रूप से जमा करना अनिवार्य है।
12. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धि पत्र को वेबसाईट www.brpnlnic.in एवं www.eproc.bihar.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा।
13. दस करोड़ से अधिक प्राक्कलित राशि होने पर Joint Venture स्वीकार्य होगा।
14. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने वाले पदाधिकारी को बिना कारण बताए निविदा की तिथि विस्तार, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं पंजीकरण हेतु ई-प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, बैंक ऑफ इण्डिया विल्डिंग, प्रथम तल्ला, एम०/22, श्री कृष्णानगर, रोड न० - 25, पटना (दूरभाष संख्या-0612-2523006, मो०न०- 7542028164) से सम्पर्क किया जा सकता है।
16. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाईट www.brpnlnic.in/ www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पर्क पदाधिकारी का नाम - श्री बहादुर चौधरी, वरीय परियोजना अभियंता एवं मोबाईल न०- 9471005273



वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
विशेष कार्य प्रमंडल, बेतिया।

ज्ञापांक :-

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पटना को हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र एवं एक उर्दू समाचार पत्र में किसी एक दिन प्रकाशित करने हेतु पाँच प्रतियों में एक सी०डी० के साथ समर्पित किया जाता है।

अनु०- यथोक्त ।



वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
विशेष कार्य प्रमंडल, बेतिया।

ज्ञापांक :-

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- उप मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार अंचल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०- यथोक्त ।




वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
विशेष कार्य प्रमंडल, बेतिया।

ज्ञापांक :- BIRPNNL / BIRP / C / 029 / 355 (2016)
दिनांक :- 04/11/2016

प्रतिलिपि :- बेवसाईट इंचार्ज, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

अनु.- यथोक्त ।


वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
विशेष कार्य प्रमंडल, बेतिया।

नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा/ दर प्रस्ताव के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य, बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं अग्रधन की राशि को निम्न रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (i). कॉलम - 5 में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो वरीय परियोजना अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, बेतिया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पदनाम से निर्गत हो तथा बेतिया में भुगतये हो।
 - (ii). कॉलम - 6 में अग्रधन की राशि को निम्न रूप से संलग्न करना अनिवार्य है जो वरीय परियोजना अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, बेतिया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त होगा।
 - a बिहार राज्य से निर्गत, बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा/ NSC/KVP
 - b एक करोड़ से ऊपर के परियोजना के लिए शर्तरहित बैंक गारंटी भी (बीड पीरियड के 45 दिनों बाद तक वैध) स्वीकार्य होंगे, जो किसी भी अनुसूची भारतीय बैंक से निर्गत हो (बिहार राज्य के बाहर के बैंक से निर्गत की स्थिति में, एकरारनामा के पूर्व बिहार राज्य अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक में परिवर्तित कराना होगा)।
 - (iii). कॉलम - 7 में अंकित राशि को बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट / डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन0 इ0 एफ0 टी0 / आर0 टी0 जी0 एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
 - a. "Bid Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS."
 - b. "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
2. संवेदक को तकनीकी बीड में निम्न अर्हता अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा तथा समस्त प्रमाण पत्रों (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) को स्कैन कर अपलोड (UPLOAD) करना अनिवार्य है। निविदा प्राप्ति के बाद कोई भी कागजात/प्रमाण -पत्र आदि स्वीकार्य अथवा विचार योग्य नहीं होगा।
 - (i). आयकर PAN/TAN वाणिज्य कर एवं श्रम विभाग में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।
 - (ii). संवेदक को किसी सरकारी/ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा (क)Debar (ख)Blacklisted एवं (ग) विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर Rescind न होने की सूचना का शपथ पत्र।
 - (iii). विगत पाँच वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष का Civil Construction work से संबंधित कार्य का, ऑडिटेड टर्न ओभर (A.T.O.) जिसमें निविदित कार्य विशेष के अनुमानित लागत का किसी एक वर्ष में कम से कम 40 % के समतुल्य होना अनिवार्य है। टर्न ओभर के साक्ष्य के रूप में Audited Profit & Loss Account संलग्न करना भी अनिवार्य है।
 - (iv). संवेदक को उनके जिम्में, सम्पादित किये जा रहे अन्य कार्यों के एकरारनामा की राशि, बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सम्पादित किये गये कार्यों की राशि एवं सम्पादन हेतु अवशेष कार्यों की राशि की स्पष्ट विवरणी, कार्यवार तैयार कर अलग से तालिका रूप में, शपथ-पत्र के माध्यम से समर्पित करना अनिवार्य है। यदि उनके जिम्मे कोई कार्य नहीं भी है तो भी शपथ-पत्र के माध्यम से शून्य प्रतिवेदन करना अनिवार्य है।
 - (v) संवेदक द्वारा Bid Amount का 25 प्रतिशत (कम से कम) invest करने का शपथ पत्र।
 - (vi) उपरोक्त बिन्दु (ii), (iii), (iv) एवं (v) से संबंधित शपथ-पत्र का प्रारूप बेवसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। शपथ पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि एवं प्राप्ति की तिथि के बीच के अवधि का होना अनिवार्य है।
 - (vii) विगत पांच वित्तीय वर्षों के अन्दर, निविदित पुल के 50 % लंबाई के एक पुल को पूर्ण करने का अनुभव (सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत)। यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित पुल निर्माण का कार्य उक्त पांच वित्तीय वर्ष में ही आरंभ हुआ हो।
 - (viii) आर0सी0सी0 पुल परियोजनाओं की स्थिति में उपरोक्त निविदित पुल के लिए निम्नवार अर्हता (सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत) अनिवार्य है।

